

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2797 का उत्तर

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण

2797. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् भी कौन सी रेल परियोजनाएं आरंभ नहीं हुई हैं;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी रेल परियोजनाओं को जोन-वार मंजूरी मिली है और इनके लिए कितनी निधि आवंटित की गई है; और
- (ग) इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूर्ण करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): रेल परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाना बहुत से कारणों पर निर्भर करता है जिनमें वित्तीय व्यवहार्यता, स्ट्रेकधारकों द्वारा लागत में भागीदारी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, परिचालनिक आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक आधार आदि शामिल हैं। सर्वेक्षण के बाद यथोचित विचार-विमर्श के बाद ही परियोजनाओं में अगली कार्रवाई की जाती है।

गत तीन वर्ष अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान अपेक्षित अनुमोदन के अध्याधीन कुल 154 रेल परियोजनाएं बजट में शामिल की गई हैं। प्रत्येक परियोजना पर खर्च की गई धनराशि, धन का आबंटन और व्यय का ब्यौरा भारतीय रेल

की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways >Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates >Finance(Budget) >2019-20_List_of_Works में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

(ग): किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का अंतरण (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर), विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, परियोजना के शीघ्र निष्पादन के लिए राज्य सरकार का सहयोग और उत्साह, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल, माननीय न्यायालय के आदेश जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना की लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंत में पूरा होने की स्थिति पर गणना की जाती है।

समग्र राष्ट्र हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना बिना लागत में वृद्धि के पूरी हो जाएं, रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और बोर्ड स्तर) पर काफी निगरानी की जाती है और परियोजना की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं समय से पहले भी पूरी हो जाती हैं, रेलवे ने निविदा में बोनस क्लॉज के रूप में ठेकेदार को प्रोत्साहन की अवधारणा को अपनाया है जो परियोजना के निष्पादन की गति में और वृद्धि करेगा।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं, क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं, अंतिम स्थान संपर्कता आदि के लिए 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।
